न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

मु.नं.:– 21/21

दुर्गाराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

...........अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13/8/21

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 515/144 तादादी 6.1588 हेक्टेयर भूमि खाता संख्या 85 वाके रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम निराणाराम है। प्रार्थी के अपने नाम के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक, पिता का परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बिजली बिल, एलआईसी बॉण्ड आदि में पिता का नाम निराणाराम अंकित है। रोही ग्राम जैतासर के खेत खसरा संख्या 1533/424 तादादी 6.6133 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पिता का सही नाम निराणाराम अंकित है। प्रार्थी ने हाल ही में बैंक से केसीसी नवीनीकरण हेतु आवेदन किया तो शाखा प्रबंधक ने केसीसी नवीनीकरण करने से मना कर दिया। क्योंकि राजस्व रेकार्ड में नारायणराम व अन्य समस्त दस्तावेजों में निराणाराम अंकित है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक, पिता का परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बिजली बिल, एलआईसी बॉण्ड आदि में पिता का नाम निराणाराम अंकित है। जबकि राजस्व रेकार्ड में मेरे पिता का नाम नारायणराम अंकित है। नारायणराम मेरे पिता का बोलता नाम है जबकि निराणाराम मेरे पिता का दस्तावेजी नाम है। नारायणराम व निराणाराम दोनों नाम मेरे पिता के ही नाम है अर्थात् दोनों नाम का एक ही व्यक्ति मेरे पिता है। प्रार्थी ने दिनांक 1.8.2021 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया के खाता संख्या 85 में मेरे पिता का नाम नारायणराम की जगह निराणाराम किया जावे। इस पर अप्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

नारायणराम की जगह निराणाराम का संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर से राजस्व रेकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार बीदासर ने अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश कर दी है तथा प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी के पिता का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, जॉबकार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी के पिता का नाम निराणाराम अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम अंकित है जिसको प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया के वर्तमान खाता संख्या 85 खसरा संख्या 515/144 तादादी 6.1588 हेक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नारायणराम को संशोधित किया जाकर निराणाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/8/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * बीदासर जिला-चूरू